न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार, आर.ए.एस.

1–अपील संख्या 47/2017

गुरमीतसिंह पुत्र कौर सिंह जाति कुम्हार सिख निवासी गुदराना तहसील कालावाली जिला सिरसा हरियाणा। ––अपीलार्थी

बनाम

1. जवाहरलाल
2. शिवराजसिंह
3. करतार कौर
4. कमल कौर
5. चेतन कौर
6. जसवंत कौर
7. गुरमीत कौर

पिसरान सुन्दरसिंह जाति कुम्हार निवासीगण चक 1 एम.एल. तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व श्रीगंगानगर। ––रेस्पोंडेन्ट्स

2– 59/2017

शिवराजसिंह पुत्र सुन्दरसिंह जाति कुम्हार निवासी चक 1 एम.एल. तहसील व जिला श्रीगंगानगर। ––अपीलार्थी

बनाम

1. जवाहरलाल
2. करतार कौर
3. कमल कौर
4. चेतन कौर
5. जसवंत कौर
6. गुरमीत कौर

पिसरान सुन्दरसिंह जाति कुम्हार निवासीगण चक 1 एम.एल. तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

7. गुरमीतसिंह पुत्र कौर सिंह जाति कुम्हार सिख निवासी गुदराना तहसील कालावाली जिला सिरसा हरियाणा।

13/3/18

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व श्रीगंगानगर। ---रेस्पोडेन्ट्स

3– 60/2017

गुरमीतसिंह पुत्र कौर सिंह जाति कुम्हार सिख निवासी गुदराना तहसील कालावाली जिला सिरसा हरियाणा। ---अपीलार्थी

बनाम

1. जवाहरलाल
2. शिवराजसिंह
3. करतार कौर
4. कमल कौर
5. चेतन कौर
6. जसवंत कौर
7. गुरमीत कौर

(क्रम 1 से 7) पिसरान सुन्दरसिंह जाति कुम्हार निवासीगण चक 1 एम.एल. तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व श्रीगंगानगर।
9. रणजीतसिंह पुत्र फुमनसिंह जाति सिख निवासी चक 1 एम.एल. तहसील व जिला श्रीगंगानगर। ---रेस्पोडेन्ट्स

अपील अर्न्तगत धारा 223 रा.का.अ. 1955

विरूद्ध आदेश उपखंड अधिकारी श्रीगंगानगर दिनांक 31.03.2017

उपस्थिति:–

श्री बलवन्त बिश्नोई अभिभाषक अपीलार्थी अपील सं. 47/2017 व 60/2017

श्री जीतपालसिंह सैनी अभिभाषक अपीलार्थी अपील सं. 59/2017

श्री मोहनलाल माहर, अभिभाषक रेस्पो.

श्री इकबालसिंह सिद्धु, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय **दिनांक :– 13.03.2018**

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादी जवाहरलाल ने एक वाद उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर के समक्ष राज.काश्त.अधि. की धारा 88, 188 पेश कर इस आशय का अनुतोष चाहा कि चक 1 एम.एल. के मु.नं. 3, 18, 40 की 30

बीघा 19 बिस्वा में से 319–1/2 हिस्सा भूमि का इन्तकाल नं. 13 दिनांक 16.10.1976 को वादी के नाम से दर्ज है जिसपर वादी का 30 साल से कब्जा काश्त चला आ रहा है। उक्त इन्तकाल में वादी के पिता का नाम बीरबल को विलोपित किया जाकर सुन्दरसिंह किया जाकर प्रतिकूल कब्जा के आधार पर खातेदार घोषित किया जावे। प्रतिवादी सं. 7 ने जबाब दावा पेश कर वाद खारिज करने का निवेदन किया।

दावा एवं जबाब दावा के आधार पर अधी. न्यायालय ने अनुतोष सहित 4 वाद बिन्दु कायम किये सुनवाई करने के पश्चात अधी. न्यायालय ने दिनांक 31.03.2017 को वादी का वाद स्वीकार कर लिया जिसके विरूद्ध अपील सं. 59/2017 पेश हुई। इसी प्रकार वादी गुरमीतसिंह ने एक वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर के समक्ष राज.काश्त.अधि. की धारा 88, 183 का केहरसिंह के परिवार की वंशावली दर्शाते हुए पेश कर इन्तकाल सं. 12 दिनांक 29.10.77 को वादी के विधिक अधिकारों तक प्रभाव शून्य घोषित करने एवं विवादित भूमि में से प्रतिवादी सं. 1 के नाम से दर्ज 3.357हिस्सा का संशोधन किया जाकर प्रतिवादी सं. 1 का नाम हटाए जाने और बतौर वादी का नाम हिस्सा का खातेदार घोषित करने एवं कब्जा दिलाये जाने का निवेदन किया। उक्त वाद में प्रार्थी जवाहरलाल ने एक प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 10 सीपीसी का पेश कर निवेदन किया कि इसी आराजी के सम्बन्ध में पूर्व में वाद सं. 60/2004 जवाहरलाल बनाम शिवराज सिंह पेश हुआ है जो जैरकार है इसलिए पश्चातवर्ती वाद की कार्यवाही स्थगित की जाये। उक्त प्रा.पत्र पर अधी. न्यायालय ने दिनांक 28.05.2014 को कार्यवाही स्थगित कर दी। तत्पश्चात अधी. न्यायालय ने दिनांक 31.03.2017 को उक्त दोनों वादों का निर्णय कर दिया। प्रकरण सं. 60/14 के विरूद्ध अपील सं. 59/17 एवं प्रकरण सं. 83/2004 के विरूद्ध अपील सं. 47/2017 एवं 60/2017 पेश हुई है तीनों ही अपीलें एक ही आदेश के विरूद्ध पेश होने से, पक्षकार समान होने से उभयपक्ष द्वारा एक साथ बहस किये जाने से तीनों अपीलों का निर्णय एक साथ किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली में शामिल की जावे।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी अपील सं. 59/2017 में मुख्य रूप से अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधी. न्यायालय ने तनकी सं. 1 का निर्णय विधि विरूद्ध किया है। राज.काश्त.अधि. में प्रतिकूल कब्जा के आधार पर खातेदारी अधिकार दिये जाने के प्रावधान नहीं है। अधी. न्यायालय ने कानूनी प्रावधानों के विपरीत जाकर आदेश पारित किया है। अतः निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे।

अपील सं. 60/2017 व अपील सं. 47/2017 के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रतिकूल कब्जा के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते। अधी. न्यायालय ने वादी का वाद स्वीकार करने में कानूनी भूल की है। तनकीवार जो निर्णय किया है वह उचित नहीं है। अतः निवेदन है कि दोनों अपीलें स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पो. ने अपनी बहस में कथन किया कि विवादित भूमि पर जवाहरलाल का पिछले तीस वर्षों से कब्जा काश्त चला आ रहा है। वादी के पिता का नाम गलत अंकित हो गया था जिसपर जवाहरलाल ने अधी. न्यायालय में वाद पेश किया एवं कब्जा के आधार पर खातेदारी घोषित करने का निवेदन किया। अधी. न्यायालय ने बीरबल के स्थान पर सुन्दरसिंह घोषित करने के आदेश दिये हैं जिसमें कोई त्रुटि नहीं है इसके अलावा गुरमीत सिंह का वाद खारिज करने में अधी. न्यायालय ने कोई त्रुटि नही की है। अतः तीनों अपीलें खारिज की जावे।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपील सं. 59/2017 शिवराजसिंह बनाम जवाहरलाल, अपील सं. 60/2017 गुरमीतसिंह बनाम जवाहरलाल , अपील सं. 47/2017 गुरमीतसिंह

बनाम जवाहरलाल तीनों ही अपीलें उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर के एक ही निर्णय दिनांक 31.03.2017 के विरूद्ध पेश की है जिसे अधी. न्यायालय द्वारा वाद सं. 60/2004 व वाद सं. 83/2004 अनवानी राजस्व वाद सं. 60/2014

1. जवाहरलाल पुत्र सुन्दरसिंह माता चन्दकौर दादा केहरसिंह जाति कुम्हार सिख निवासी चक 1 एम.एल. तहसील व जिला श्रीगंगानगर। —वादी

बनाम

1. शिवराजसिंह
2. करतारकौर
3. कमलकौर
4. चेतनकौर
5. जसवंतकौर
6. गुरमीतकौर

पि0 सुन्दरसिंह जाति कुम्हार सिख निवासी चक 1 एम.एल तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

7. गुरमीतसिंह पुत्र कौरसिंह मामा सुरजीतकौर नाना बीरबलराम नानी भगवानकौर जाति कुम्हार सिख निवासी बुद्धीराणा तहसील कालांवाली जिला सिरसा।
8. स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसील (राजस्व) श्रीगंगानगर।—प्रतिवादीगण

वाद संख्या 83/2004

गुरमीतसिंह पुत्र कौर सिंह जाति कुम्हार सिख निवासी कालांवाली तहसील व जिला सिरसा हरियाणा। —वादी

बनाम

1. जवाहरलाल
2. शिवराजसिंह

पि. सुन्दरसिंह

3. चन्द कौर बेवा सुन्दरसिंह
4. करतार कौर पुत्री सुन्दरसिंह
5. कमलकौर पुत्री सुन्दरसिंह

जाति कुम्हार सिख निवासी चक 1 एम.एल. तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

13/8/18
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

6. चेतनकौर
7. जसवंत कौर | पि0 सुन्दरसिंह जाति कुम्हार सिख निवासी 1 एम.एल.
8. गुरमीत कौर | तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
9. स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीगंगानगर।
10. रणजीतसिंह पुत्र फुमनसिंह जाति सिख निवासी 1 एम.एल. तहसील व जिला श्रीगंगानगर। ---प्रतिवादीगण

को इकजाई कर निर्णय पारित किया है जिसमें अपीलांट्स के दावे खारिज एवं रेस्पां. की वल्दीयत परिवर्तित की गई है जबकि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानुसार खातेदारी अधिकार घोषित करवाने के अधिकारी हैं जो अधी. न्यायालय ने नहीं किये हैं। अतः अधी. न्यायालय का निर्णय अपास्त करने का अनुतोष चाहा है।

अधी. न्यायालय की पत्रावलियों का अवलोकन किया अधी. न्यायालय की पत्रावली सं. 83/2004 के दावे की चरण सं. 2 में वंशावली दी गई है यथा

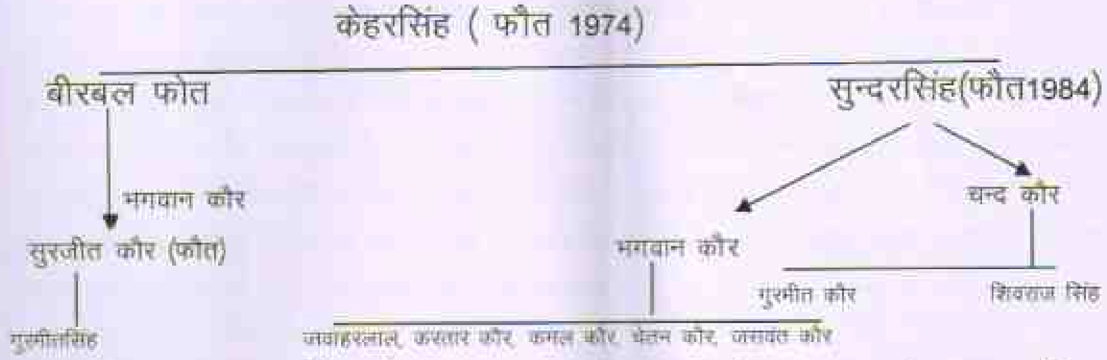

पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार इस वंश वृक्षावली Pedgree को Explain किया गया है उसके अनुसार Key person केहरसिंह के दो पुत्र बीरबल एवं सुन्दरसिंह होना निर्विवादित है। विवाद का प्राथमिक स्त्रोत वाद सं. 60/2004 की चरण सं. 2 में वादी जवाहरलाल ने अंकित किया है कि मृतक बीरबल की पत्नी भागवान कौर ने सुन्दरसिंह के साथ विवाह कर लेने के उपरांत जब कोई अन्य सन्तान उत्पन्न नहीं हुई तो भगवानकौर की सहमति व रजामंदी से ही सुन्दरसिंह ने चन्द कौर के साथ विवाह कर लिया, जिनके वैवाहिक सम्बन्धों से कुल पांच लड़कियां

13/3/18
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

व दो लड़के कमशः करतार कौर , कमलकौर, चेतनकौर, जसवन्तकौर, शिवराजसिंह व जवाहरलाल उत्पन्न हुए। वहीं प्रतिवादी सं. 7 ने दावे की चरण के जबाब दावे में जबाब दिया कि यही Pedgree अधी. न्यायालय की पत्रावली सं. 83/04 की चरण सं. 2 में अंकित है। यह विवाद आज भी विनिश्चय का मोहताज है जिसकी सन्दर्भ विधि भारतीय उत्तराधिकार अधि. की धारा 372 व 373 है जिसकी Bare reading है कि 372 Application for certificate. —(1) Application for such a certificate shall be made to the District Judge by a petition signed and verified by or on behalf of the applicant in the manner prescribed by the Code of Civil Procedure] 1908 (5 of 1908) for the signing and verification of a plaint by or on behalf of a plaintiff, and setting forth the following particulars, namely:— (a) the time of the death of the deceased; (b) the ordinary residence of the deceased at the time of his death and, if such residence was not within the local limits of the jurisdiction of the Judge to whom the application is made, then the property of the deceased within those limits;

(c) the family or other near relatives of the deceased and their respective residences; (d) the right in which the petitioner claims; (e) the absence of any impediment under section 370 or under any other provision of this Act or any other enactment, to the grant of the certificate or to the validity thereof if it were granted: and (f), the debts and securities in respect of which the certificate is applied for.

(2). If the petition contains any averment which the person verifying it knows or believes to be false, or does not believe to be true, that person shall be deemed to have committed an offence under section 198 of the Indian Penal Code, 1860 (45 of 1860)

56 [(3) Application for such a certificate may be made in respect of any debt or debts due to the deceased creditor or in respect of portions thereof.]

373. Procedure on application.—

(1) If the District Judge is satisfied that there is ground for entertaining the application, he shall fix a day for the hearing thereof and cause notice of the application and of the day fixed for the hearing—

(a) to be served on any person to whom, in the opinion of the Judge, special notice of the application should be given, and

(b) to be posted on some conspicuous part of the court-house and published in such other manner, if any, as the Judge, subject to any rules made by the High Court in this behalf, thinks fit, and upon the day fixed, or as soon thereafter as may be practicable, shall proceed to decide in a summary manner the right to the certificate.

(2) When the Judge decides the right thereto to belong to the applicant, the Judge shall make an order for the grant of the certificate to him.

13/8/18
राजस्व अपील प्राधिकारी
(राज.)

(3) If the Judge cannot decide the right to the certificate without determining questions of law or fact which seem to be too intricate and difficult for determination in a summary proceeding, he may nevertheless grant a certificate to the applicant if he appears to be the person having prima facie the best title thereto.

(4) When there are more applicants than one for a certificate, and it appears to the Judge that more than one of such applicants are interested in the estate of the deceased, the Judge may, in deciding to whom the certificate is to be granted, have regard to the extent of interest and the fitness in other respects of the applicants.

राजस्व न्यायालयों के क्षेत्राधिकार के सम्बन्ध में राज.काश्त.अधि. 1955 की धारा 40 के प्रावधानुसार नामान्तरण सं. 12 निर्णय दिनांक 16.10.76 से अगर कोई आहत है तो विधिक अनुतोष इसकी अपील है जो पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार अपील होना नहीं पाया गया।

पत्रावली का अवलोकन, पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड के विश्लेषण एवं उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन करने के पश्चात यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पंहुचता है कि:–

1. अपीलाधीन आदेश का विधिक निर्णय Key person केहरसिंह की मृत्यु उपरांत उनके वारिसान का विवाद ही अपीलाधीन आदेशों का विवाद है जिसका समाधान भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 की धाराएं 372 व 373 में उपलब्ध है। जो उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्राप्त कर अनुतोष प्राप्त कर सकते हैं।
2. नामान्तरण सं. 12 निर्णय दिनांक 16.10.1976 जब तक किसी अपीलीय आदेश द्वारा परिवर्तित नहीं किया जाता का राजस्व रिकार्ड में अमल होने के पश्चात राज.काश्त.अधि. की सन्दर्भ धाराए 183 के प्रतिबन्धों अनुसार अपीलांट कब्जा वापिसी का अधिकार मियाद के बिन्दु पर खत्म हो चुका है। वही भारतीय मियाद अधि. 1963 के चैप्टर पार्ट iv के प्रावधानुसार रेस्पों. को protection प्राप्त होकर अपील खारिज योग्य है।

13/8/18

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

3. कि राजस्थान काश्त.अधि. 1955 की धारा 63(iv) के प्रावधानुसार अपीलांट्स के Interest extinguished हो चुके है। अतः अपील खारिज योग्य है।

उपरोक्त बिन्दु सं. 1 से 3 के विवेचन अनुसार उपरोक्त तीनों अपीलें खारिज की जाती है। अधी. न्यायालय का निर्णय यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 13.03.2018 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगगांनगर